सरकार का निर्णय और की गयी कार्यवाही क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने फरवरी, 1985 में दिल्ली में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन का कार्यवृत्त सरकार को भेजा था, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषय हैं:—

(1) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन ।

(2) संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के अनन्य नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सतर्कता सेलों की स्थापना ।

(3) राज्य के बाहर से मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति ।

(4) संबंधित राज्यों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना ।

(5) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तें, जिनके अन्तर्गत निम्न-लिखित हैं :—

(1) न्यायाधीशों की शास-कीय प्रास्थिति और स्थिति ।

(2) मुख्य न्यायमूर्तियों की वित्तीय शक्तियां ।

(3) पेंशन और कुटुम्ब पेंशन ।

(4) सवारी भत्ता, सत्कार भत्ता, मकान भत्ता, साज-सज्जा भत्ता, दैनिक भत्ता, विद्युत् भत्ता और स्थानान्तरण भत्ता ।

(5) प्राइवेट चिकित्सकों की चिकित्सक-फीस और व्यय की प्रतिपूर्ति ।

(6) यात्रा सुविधायें ।

(7) आतिथ्य ।

(8) सुरक्षा ।

(9) उनकी कारों पर झंडे लगाना ।

(10) अर्जित छुट्टी का अग्रनयन ।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

Enquiry conducted by Indian Standards Institution in the use of Synthetic detergents

66. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1216, given in the Rajya Sabha on 5 th August, 1985 and state ;

(a) whether Indian Standards Institution has since examined the safety aspects in the use of synthetic detergents :

(b) if so, what are the detailed finding's thereof; and

(c) if not. by when such examination is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (c) A draft of Methods of Safety Evaluation for Synthetic Detergents is presently under circulation by I.S.I, for eleciting comments and it is likely to be finalised within six months.

Chief Justices of High Courts

67. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) what are the names of the High Courts in the country which